



संख्या-108/आई/1294237/2026/002-89-1002/18/2026

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-03- दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना) हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-389/दस/ए०सी०-1/2230/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-03- दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत रूपये 83978.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-03- दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत **रूपये 83978.35 लाख (रूपये आठ अरब उनतालीस करोड़ अठहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1)- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोग आय-व्ययक नियम संग्रह से सम्बंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। इसका भी ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) ही अकेले किसी भी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिसे करने के लिए आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जहां आवश्यकता हो, व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- व्यय करते समय मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये तथा भविष्य में जारी किये जाने वाले शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)- जीरो वेस बजटिंग के अन्तर्गत सरप्लस घोषित पदों सरप्लस घोषित टेलीफोन व वाहनों पर प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि व्यय न की जाय अन्यथा निदेशालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(4)- जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकानुसार किशतों में किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेखाशीर्षक: 2230030030300 (दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	01 वेतन	4,04,93,00,000 (रुपये चार अरब चार करोड़ तिरानबे लाख मात्र)
2	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	02 मजदूरी	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
3	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	2,63,20,45,000 (रुपये दो अरब तिरेसठ करोड़ बीस लाख पैतालीस हजार मात्र)
4	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	04 यात्रा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
5	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
6	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	06 अन्य भत्ते	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
7	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण	07 मानदेय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		योजना (जिला योजना)		
8	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	08 कार्यालय व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
9	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	09 विद्युत देय	35,00,00,000 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र)
10	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	10 जलकर / जल प्रभार	4,28,00,000 (रुपये चार करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र)
11	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
12	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
13	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	13 टेलीफोन पर व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
14	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
15	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,45,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)
17	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
19	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)
20	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,38,30,000 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख तीस हजार मात्र)
21	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	45 अवकाश यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
22	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
23	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
24	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	49 चिकित्सा व्यय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	51 वर्दी व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
26	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
27	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	30,12,00,000 (रुपये तीस करोड़ बारह लाख मात्र)
28	069	2230030030300 दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	32,00,00,000 (रुपये बत्तीस करोड़ मात्र)
	कुल			8,39,78,35,000 (रुपये आठ अरब उनतालीस करोड़ अठहत्तर लाख पैतीस हजार मात्र)
महायोग		8,39,78,35,000 (रुपये आठ अरब उनतालीस करोड़ अठहत्तर लाख पैतीस हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त 5 (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर, भवन, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।